

1	योजना का नाम	विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत विशेष योग्यजन छात्र/छात्राएं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक न हो ऐसे परिवारों के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की सुविधा दी जा रही है।
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 1981
4	लाभान्वित वर्ग	40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन विद्यार्थीगण
5	पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। 2. छात्र/छात्रा के अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3. छात्र/छात्रा पूर्व में अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति/भत्ता राज्य सरकार अथवा स्वयंसेवी संस्था/ ट्रस्ट से प्राप्त नहीं कर रहा हो। 4. छात्र/छात्रा गत वर्ष की कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया हो। 5. आवेदक के पास अधिकृत चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का निःशक्तता प्रमाण पत्र होना चाहिए। 6. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
6	देय सुविधाएं	कक्षा 1 से 4 तक 500 रुपये प्रतिमाह एवं कक्षा 5 से 8 तक 600 रुपये प्रतिमाह देय कक्षा-9 से उच्चतर अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति के आवेदन भारत सरकार द्वारा ऑनलाईन पोर्टल https://scholarships.gov.in/ पर आमंत्रित किये जाते हैं।
7	आवेदन पत्र	जिलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करें।
8	आवेदन का तरीका	सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।
9	आवेदन कहां किया जावे	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।
10	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	निःशक्तता प्रमाण पत्र (अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा) स्वनियोजित पिता/संरक्षक की आय हेतु शपथ पत्र अथवा नियोजित पिता/संरक्षक का नियोजक से प्राप्त आय प्रमाण पत्र। पिछले वर्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रतियां।
11	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।

विशेष योग्यजन छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति आवेदन पत्र

(वर्ष 20 -20)

नोट:- राजकीय एवं मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र संस्था प्रधान के माध्यम से विभागीय अधिकारी को भेजे जायेंगे।

भाग "क"

(छात्र/छात्रा द्वारा भरा जाये)

पासपोर्ट साइज
का नवीनतम
फोटो

सेवामें,

संस्था प्रधान

1. प्रार्थी का पूरा नाम श्री/श्रीमती/कुमारी
2. पिता/पति का नाम श्री जाति
3. प्रार्थी के स्थाई निवास स्थान का पूरा पता:-
गांव/शहर वार्ड संख्या
- ग्राम/वार्ड पंचायत समिति/तहसील
- जिला राजस्थान
4. विकलांगता श्रेणी (संबंधित को $\sqrt{\quad}$ करें) :-
(i) अस्थि विकलांग (ii) कुष्ठ रोग मुक्त
(iii) दृष्टि बाधित (iv) अल्प दृष्टि
(v) श्रवण बाधित (vi) मानसिक विमंदित
(vii) मानसिक रुग्णता
5. पाठ्यक्रम एवं कक्षा का विवरण (जिसके लिए छात्रवृत्ति चाही गई है) :-
(क) शैक्षणिक संस्था का नाम
- (ख) पाठ्यक्रम कक्षा वर्ष
- (ग) कक्षा में प्रवेश की तिथि
6. पिता/माता/संरक्षक/पति अथवा स्वयं की वार्षिक आय रुपये।
7. स्कॉलर/डेस्कॉलर की दशा में छात्रावास का विवरण :-
(क) छात्रावास का विवरण :-
(i) नाम छात्रावास
- (ii) लोकेशन छात्रावास
- (iii) छात्रावास में प्रवेश लेने की तिथि
8. छात्र/छात्रा के स्वरोजगार में नियोजन होने का विवरण :-
(क) वर्तमान व्यवसाय
- (ख) नियोजक का नाम
- (ग) वार्षिक कुल आय रुपये।

9. छात्र/छात्रा का बैंक खाते का विवरण (केवल कोर बैंकिंग) :-

(क) बैंक का नाम

(ख) खाता संख्या

(ग) IFSC कोड

10. आवेदक का आधार नं.:-

11. आवेदक का भामाशाह कार्ड नं.:-

12. आवेदक का मोबाईल नं.:-.....

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य सही है। मेरे द्वारा गलत तथ्यों से छात्रवृत्ति प्राप्त की है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी तथा इसे मैं वापस जमा करा दूँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर प्रार्थी

.....

संलग्न :-

1. निःशक्तता का प्रमाण पत्र (अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा)
2. आय के संबंध में विशेष योग्यजन के पिता/माता/संरक्षक/पति की आय के संबंध में स्वयं की घोषणा के आधार पर आय प्रमाण पत्र।
3. गत परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका की प्रमाणित प्रति।
4. संस्था में प्रवेश के समय जमा कराई मूल फीस रसीद।
5. मूल निवास प्रमाण-पत्र।
6. बैंक खाते (पास बुक) की छायाप्रति।

भाग "ख"

(शिक्षा संस्था के प्रभारी द्वारा भरा जावे)

1. पाठ्यक्रम एवं कक्षा का विवरण (जिसके लिए छात्रवृत्ति चाही गई है) :-

(क) शैक्षणिक संस्था का नाम

(ख) पाठ्यक्रम कक्षा वर्ष

(ग) कक्षा में प्रवेश की तिथि

2. संस्था में प्रवेश दिनांक

3. संस्था में जमा करवाई गई फीस (जमा की गई रसीद के अनुसार)

रिफण्डेबल रुपये

नॉनरिफण्डेबल रुपये

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा संस्था में दिनांक से अध्ययनरत है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय सील

नोट :- अधीनस्थ द्वारा किये गये हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे।

